

पाकर वार्ड गण चारुत पूर्व तह चारुत के खलाने,
 5420, 5425 ते 5434, 5436 ते 5442, 5626, 5636 क्रि. 20
 श्रमा 4.04 है. की तक्रामा भीत एव वारुण पर निर
 जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदानीत चारुत को
 कमीशनर निपुत्र जिपा पाकर निर्देशित जिपा जाता है
 दोनों पक्षों को तलब कर दोनों पक्षों की मौजूदगी में
 तक्रामा पुल्लाव बनाकर पेश करे। निर्णयानुसार डिस्क्रिपरी
 है। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली वास्ते
 इन्तजार कुरैजात दिनांक 21/11/23 से पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

21/11/23 पत्रावली पेश हुई/R.O. सतार/सर्ज
 कन. नं. 10/11/23
 दिनांक 4/12/23 को पेश हो।

[Signature]

4/12/23 पत्रावली पेश हुई/R.O. सतार/सर्ज
 कन. नं. 10/11/23
 दिनांक 20/12/23 को पेश हो।

[Signature]

20/12/23

पत्रावली पेश हुई/R.O. सतार/सर्ज
 कन. नं. 10/11/23
 दिनांक 14/2/24 को पेश हो।

[Signature]

14/2/24 पत्रावली पेश हुई/R.O. सतार/सर्ज
 कन. नं. 10/11/23
 दिनांक 8/4/24 को पेश हो।

[Signature]

8/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व ल्यचं वारी को
 सप्रेकाल 6pm तक बार - बार आवाज लगाने के
 बावजूद एजिर अदालत नहीं आए। न ही वादी की
 ओर ले अन्य कोई पंखी करने हेतु एजिर
 अदालत आए। अतः दावा अग्र एजरी एवं अग्र
 पंखी में खारिज जिपा जाता है। पत्रावली वाद
 तक्रामा दायित्व दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)